



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपकम)

U. P. Power Corporation Limited

(U.P.Govt. Undertaking)

CIN: U32201UP1999SGC024928



संख्या : 34—उ०प्र०(२ब) / पा०का०लि० / 2018—०७—विविध(२ब) / 2018

दिनांक: 26 सितम्बर, 2018

कार्यालय ज्ञाप

विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर कारपोरेशन कार्यहित में एतदद्वारा श्री अक्षय कुमार (अनु०जा०) (प्रो०—४०%) (वरिष्ठता क्रमांक—७६११) (20123012004169) (बुलन्दशहर) (30.11.2022), सहायक अभियन्ता, सम्बद्ध मुख्य अभियन्ता (वितरण), गाजियाबाद क्षेत्र, पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ को अधिशासी अभियन्ता (विद्युत एवं यान्त्रिकी) के पद पर प्रोन्नत किया जाता है तथा स्थानान्तरित कर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से स्थानापन्न अधिशासी अभियन्ता (विद्युत एवं यान्त्रिकी) के पद पर नियुक्त हेतु प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ को तैनाती हेतु आवंटित किया जाता है।

2— परिषदादेश संख्या 1849—का.वि.नि./रा.वि.प.—२९/९७—१५काविनी/८७ दिनांक ८ अक्टूबर 1997 में निहित प्राविधानानुसार श्री अक्षय कुमार (20123012004169) को उनके आसन्न कनिष्ठ अधिकारी श्री प्रभु नाथ प्रसाद (20123022004170) की अधिशासी अभियन्ता (विद्युत एवं यान्त्रिकी) के पद पर प्रोन्नति के दिनांक 28.09.2017 से नोशनल प्रोन्नत माने जाने के आदेश किये जाते हैं। इस नोशनल प्रोन्नति के फलस्वरूप श्री अक्षय कुमार (20123012004169) का वेतन उनके कनिष्ठ श्री प्रभु नाथ प्रसाद (20123022004170), अधिशासी अभियन्ता के समतुल्य नोशनल प्रोन्नति के दिनांक 28.09.2017 से इंस प्रतिबन्ध के साथ निर्धारित करने के आदेश किये जाते हैं कि उन्हें नोशनल प्रोन्नति के दिनांक 28.09.2017 से वास्तविक कार्यभार ग्रहण के दिनांक के बीच की अवधि का कोई ऐरियर देय नहीं होगा।

3— यह भी आदेश किये जाते हैं कि का०ज्ञा०संख्या—४४०—काविनी/पाकालि—२९/२००० दिनांक १—६—२००० में निहित प्राविधानानुसार उक्त अधिकारी की अगले पद पर प्रोन्नति हेतु अर्हकारी सेवा की गणना उनकी उपरोक्त नोशनल प्रोन्नति की तिथि से की जायेगी।

4— उपर्युक्त प्रोन्नत अभियन्ता की तैनाती ग्रामीण क्षेत्रों में ही विशेषकर ऐसे स्थान पर की जाएगी, जहाँ सौभाग्य योजना का कार्य अभी वृहद रूप से किया जाना शेष है।

5— उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या ७९/१९९७ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक २१—३—२००७ में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।

6— सम्बन्धित प्रबन्ध निदेशक का यह दायित्व होगा कि वे आवंटित अधिकारी की तैनाती उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वर्तमान में प्रभावी स्थानान्तरण नीति के अनुरूप करना सुनिश्चित करेंगे।

7— नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि प्रोन्नत अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०—५९१०—गोपन/पाकालि(०६)—२००१ दिनांक ११—६—२००१ के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वाकंन का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।

8— यदि वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम, अंकित कार्यालय/निगम से भिन्न है, उस दशा में का०ज्ञा० में अंकित कार्यालय/निगम के स्थान पर वास्तविक वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम प्रत्येक व्यवहारिक उद्देश्य के लिए मान्य होगा।

9— उपरोक्त प्रोन्नत अधिकारी को कारपोरेशन के ज्ञापांक २९००—प्रशि०—१०/पाकालि दिनांक 23.12.03 के प्राविधानानुसार उनके द्वारा अधिशासी अभियन्ता पद पर कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् मुख्य अभियन्ता, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन एवं विकास उ०प्र० पाकालि, लखनऊ द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण कराया जायेगा जिसमें इनका भाग लेना अनिवार्य होगा।

10— उपरोक्त प्रोन्नत अधिकारी को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाय।

11— उपरोक्त आदेश निर्गमन की तिथि अथवा कार्यभार ग्रहण करने का दिनांक, जो भी बाद में हो, से प्रभावी होंगे।

2011
[Signature]

प्रबन्ध निदेशक

क्रमांक:.....2.....



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उपरोक्त सरकार का उपकरण)

U. P. Power Corporation Limited

(U.P.Govt. Undertaking)

CIN: U32201UP1999SGC024928



-2-

संख्या: 34(1)उपरोक्त(2ब) / पा०का०लि० / 2018 तददिनांक

- प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—
- 1— मा० ऊर्जा / ऊर्जा राज्य मंत्री, जी के निजी सचिव, उपरोक्त शासन, लखनऊ।
 - 2— अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक / समस्त निदेशक / अपर सचिव (प्रथम / द्वितीय / तृतीय) के निजी सचिव, उपरोक्त पा०का०लि० / उपरोक्त पा०ट्रांका०लि०, लखनऊ।
 - 3— प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल, आगरा / मध्यांचल, लखनऊ / पूर्वांचल, वाराणसी / पश्चिमांचल, मेरठ विद्युत वितरण निगम लिमिटेड / केरको, कानपुर।
 - 4— समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) / मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) / मुख्य महा प्रबन्धक / महा प्रबन्धक, उपरोक्त पा०का०लि० / उपरोक्त पा०ट्रांसमिशन का०लि०।
 - 5— मुख्य अभियन्ता, कम्यूटराइजेशन इकाई, उपरोक्त पा०का०लि०, लखनऊ।
 - 6— समस्त संयुक्त सचिव, उपरोक्त पा०का०लि० / उपरोक्त पा०ट्रांका०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
 - 7— उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन) / लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उपरोक्त पा०का०लि०, लखनऊ।
 - 8— अधिशासी अभियन्ता (वेब), उपरोक्त पा०का०लि०, कमरा नं-407, शक्ति भवन, लखनऊ।
 - 9— उप सचिव (प्रशिक्षण) / (गोपन), उपरोक्त पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
 - 10— सम्बन्धित अधिकारीगण / वैयक्तिक पत्रावली / कट फाइल / नोटिस बोर्ड।

आज्ञा से,

(सदानन्द)

उप सचिव

२०१९